

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग

मांग संख्या 93

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	8136.84	100.00	8236.84	10197.62	370.00	10567.62	10234.48	95.00	10329.48	11687.51	235.00	11922.51
<i>वसूलियां</i>	-171.81	...	-171.81	-50.00	...	-50.00	-149.48	...	-149.48
<i>प्राप्तियां</i>
निवल	7965.03	100.00	8065.03	10147.62	370.00	10517.62	10085.00	95.00	10180.00	11687.51	235.00	11922.51
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	51.36	...	51.36	67.00	...	67.00	67.00	...	67.00	66.00	...	66.00
राष्ट्रीय आयोग												
2. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग	15.83	...	15.83	27.00	...	27.00	27.00	...	27.00	30.00	...	30.00
3. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग	9.39	...	9.39	12.00	...	12.00	12.00	...	12.00	15.00	...	15.00
4. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग	4.31	...	4.31	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	11.00	...	11.00
जोड़-राष्ट्रीय आयोग	29.53	...	29.53	49.00	...	49.00	49.00	...	49.00	56.00	...	56.00
5. विमुक्त, घुमंतू तथा अर्धघुमंतू समुदायों के लिए विकास और कल्याण बोर्ड	0.15	...	0.15	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	81.04	...	81.04	121.00	...	121.00	121.00	...	121.00	127.00	...	127.00
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों/परियोजनाएं												
6. अनुसूचित जातियों के लिए उच्चतर शिक्षा यूवा एचीवर स्कीम छात्रवृत्ति												
6.01 एससी के लिए राष्ट्रीय अध्येता वृत्ति	300.00	...	300.00	125.00	...	125.00	173.00	...	173.00
6.02 एससी और ओबीसी के लिए निःशुल्क कोचिंग	50.00	...	50.00	30.00	...	30.00	47.00	...	47.00
6.03 एससी के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा	70.00	...	70.00	70.00	...	70.00	108.00	...	108.00
6.04 एससी के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति	30.00	...	30.00	35.00	...	35.00	36.00	...	36.00
<i>जोड़- अनुसूचित जातियों के लिए उच्चतर शिक्षा यूवा एचीवर स्कीम छात्रवृत्ति</i>	<i>450.00</i>	...	<i>450.00</i>	<i>260.00</i>	...	<i>260.00</i>	<i>364.00</i>	...	<i>364.00</i>
7. अनुसूचित जाति के लिए लक्षित क्षेत्र में उच्च विद्यालय में छात्र हेतु आवासीय शिक्षा योजना	200.00	...	200.00	63.21	...	63.21	89.00	...	89.00
8. वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता योजना	20.00	...	20.00	150.00	...	150.00	20.00	...	20.00	80.00	...	80.00
9. प्रधानमंत्री दक्षता और कुशल सम्पन्न हितग्राही योजना	100.00	...	100.00	79.48	...	79.48	84.00	...	84.00
10. अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए वेंचर पूंजी निधि	120.00	120.00	...	90.00	90.00	...	110.00	110.00

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
11. अन्य पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए उच्चतर शिक्षा युवा एचीवर स्कीम छात्रवृत्ति												
11.01 ओबीसी के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	100.00	...	100.00	60.00	...	60.00	53.00	...	53.00
11.02 ओबीसी और ईबीसी के लिए विदेशों में अध्ययन पर ब्याज सस्मिडी	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	27.00	...	27.00
जोड़- अन्य पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए उच्चतर शिक्षा युवा एचीवर स्कीम छात्रवृत्ति	130.00	...	130.00	90.00	...	90.00	80.00	...	80.00
12. डीएनटी/एनटी/एसएनटी (सीड) की आर्थिक सशक्तिकरण स्कीम	50.00	...	50.00	40.40	...	40.40	28.00	...	28.00
13. वंचित व्यक्तियों के लिए आजीविका और उद्यम सहायता												
13.01 भीख मांगने वाले व्यक्ति को व्यापक पुनर्वास	50.00	...	50.00	10.00	...	10.00	15.00	...	15.00
13.02 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण हेतु व्यापक पुनर्वास	20.00	...	20.00	25.00	...	25.00	30.00	...	30.00
जोड़- वंचित व्यक्तियों के लिए आजीविका और उद्यम सहायता	70.00	...	70.00	35.00	...	35.00	45.00	...	45.00
14. मैला ढोने वालों व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना	16.60	...	16.60	100.00	...	100.00	43.31	...	43.31	70.00	...	70.00
15. सूचना निगरानी, मूल्यांकन और सामाजिक लेखा परीक्षा	2.78	...	2.78	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00	19.50	...	19.50
केंद्रीय छात्रवृत्तियां												
16. अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	119.00	...	119.00
17. अन्य पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	33.00	...	33.00
18. अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग	11.96	...	11.96
19. अनुसूचित जातियों के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा	52.87	...	52.87
20. अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति	33.09	...	33.09
21. अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति	32.61	...	32.61
जोड़-केंद्रीय छात्रवृत्तियां	282.53	...	282.53
22. राष्ट्रीय वयोश्री योजना												
22.01	26.50	...	26.50
23. अनुसूचित जाति के लिए कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	55.81	...	55.81
24. अनुसूचित जाति के लिए ऋण गारंटी कोष
25. सामाजिक सुरक्षा सेवा प्रदान करने वाले स्वैच्छिक संगठनों के लिए सहायता	3.00	...	3.00
26. ओबीसी के लिए काम करने वाले स्वैच्छिक समूहों को सहायता	47.29	...	47.29
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम/परियोजनाएं	454.51	...	454.51	1275.00	120.00	1395.00	656.40	90.00	746.40	859.50	110.00	969.50
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
27. बाबा साहेब डॉ. भीम राव अंबेडकर संघ	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	11.00	...	11.00	10.00	...	10.00
28. राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान	28.88	...	28.88	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00
जोड़-स्वायत्त निकाय	29.88	...	29.88	21.00	...	21.00	31.00	...	31.00	30.00	...	30.00
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
29. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम	100.00	100.00	50.00	50.00
30. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम	...	40.00	40.00	...	50.00	50.00	...	5.00	5.00	...	25.00	25.00
31. राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग वित्त और विकास निगम	...	30.00	30.00	...	100.00	100.00	50.00	50.00
जोड़-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	...	70.00	70.00	...	250.00	250.00	...	5.00	5.00	...	125.00	125.00
अन्य												
32. डॉ. बी.आर. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00	30.00	...	30.00
33. अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लिए उपक्रम पूंजी कोष	...	30.00	30.00
जोड़-अन्य	25.00	30.00	55.00	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00	30.00	...	30.00
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	54.88	100.00	154.88	46.00	250.00	296.00	56.00	5.00	61.00	60.00	125.00	185.00
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
अनुसूचित जाति के विकास के लिए अम्ब्रेला योजना												
34. अनुसूचित जाति के लिए मैट्रिक परीक्षा के उपरांत छात्रवृत्ति	3415.62	...	3415.62	4196.59	...	4196.59
35. अनुसूचित जाति और अन्य के लिए मैट्रिक परीक्षा से पूर्व छात्रवृत्ति	725.00	...	725.00	725.00	...	725.00
36. प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना	1800.00	...	1800.00	1800.00	...	1800.00	1950.00	...	1950.00
37. नागरिक अधिकार अधिनियम, 1995 का संरक्षण और एट्रोसिटी अधिनियम, 1989 के संरक्षण को प्रवर्तन के लिए तंत्र को सुदृढीकरण	600.00	...	600.00	600.00	...	600.00	600.00	...	600.00
38. राश्ट्रियक अनुसूचित जाति विकास निगमों को सहायता	25.00	...	25.00	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
39. शैक्षिक सशक्तिकरण												
39.01 मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	4010.16	...	4010.16
39.02 अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	569.51	...	569.51
39.03 बालक और बालिका छात्रावास	56.40	...	56.40
39.04 अस्वच्छ व्यवसायों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर कार्यों में संलग्न व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	26.81	...	26.81
39.05	5660.00	...	5660.00
39.06	500.00	...	500.00
जोड़- शैक्षिक सशक्तिकरण	4662.88	...	4662.88	6160.00	...	6160.00
40. विशेष केन्द्रीय सहायता												
40.01 अनुसूचित जाति उप-स्कीमों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	387.00	...	387.00
41. नागरिक अधिकार												
41.01 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1995 और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के प्रवर्तन हेतु तंत्र को मजबूत बनाना	593.39	...	593.39
42. आजीविका												

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
42.01 राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम	15.86	...	15.86
43. अवसंरचना विकास												
43.01 प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	216.52	...	216.52
जोड़-अनुसूचित जाति के विकास के लिए अम्ब्रेला योजना	5875.65	...	5875.65	6565.62	...	6565.62	7321.60	...	7321.60	8710.01	...	8710.01
अन्य वंचित समूहों के विकास हेतु अम्ब्रेला कार्यक्रम												
44. अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और डीएनटी के लिए पीएम यंग एचीवर्स स्कालरशिप एवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेन्ट इंडिया (पीएम यशस्वी)												
44.01 अन्य पिछड़े वर्ग, ईवीसी और डीएनटी के लिए मैट्रिक के उपरांत छात्रवृत्ति	1300.00	...	1300.00	1300.00	...	1300.00	1083.00	...	1083.00
44.02 ओबीसी, ईवीसी और डीएनटी के लिए मैट्रिक से पूर्व छात्रवृत्ति	250.00	...	250.00	250.00	...	250.00	478.00	...	478.00
44.03 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए बालक एवं बालिका छात्रावास	20.00	...	20.00
जोड़- अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और डीएनटी के लिए पीएम यंग एचीवर्स स्कालरशिप एवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेन्ट इंडिया (पीएम यशस्वी)				1550.00	...	1550.00	1550.00	...	1550.00	1581.00	...	1581.00
45. अन्य पिछड़े वर्ग के बाल और बालिकाओं के लिए छात्रावास	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00
46. अटल बयो अभ्युदय योजना												
46.01 सकल बजटीय सहायता से बजट सहायता	300.00	...	300.00	150.00	...	150.00	150.00	...	150.00
46.02 वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि से सहायता	50.00	...	50.00	149.48	...	149.48
46.03 वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि से राशि को पूरा करना	-50.00	...	-50.00	-149.48	...	-149.48
	<i>निवल</i>	<i>300.00</i>	...	<i>300.00</i>	<i>150.00</i>	...	<i>150.00</i>	<i>150.00</i>	...	<i>150.00</i>
47. औषध मांग को कम करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना	260.00	...	260.00	200.00	...	200.00	200.00	...	200.00
48. पिछड़े वर्गों के लिए योजनाएं												
48.01 मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	1159.58	...	1159.58
48.02 मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	165.85	...	165.85
48.03 बालक और बालिकाओं के लिए छात्रावास	31.59	...	31.59
48.04 आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास के लिए योजना	25.00	...	25.00
48.05 विमुक्त और घुमन्तू जनजातियों के विकास के लिए योजना	9.00	...	9.00
जोड़- पिछड़े वर्गों के लिए योजनाएं	1391.02	...	1391.02
49. अन्य वंचित समूहों के लिए योजनाएं												
49.01 वृद्धजनों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना	130.31	...	130.31
49.02 ड्रग की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना	149.43	...	149.43
जोड़- अन्य वंचित समूहों के लिए योजनाएं	279.74	...	279.74
जोड़-अन्य वंचित समूहों के विकास हेतु अम्ब्रेला कार्यक्रम	1670.76	...	1670.76	2140.00	...	2140.00	1930.00	...	1930.00	1931.00	...	1931.00
50. वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि (एससीडब्ल्यूएफ) राशि	-162.38	...	-162.38
51. वास्तविक वसूलियां	-9.43	...	-9.43
जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	7374.60	...	7374.60	8705.62	...	8705.62	9251.60	...	9251.60	10641.01	...	10641.01
कुल जोड़	7965.03	100.00	8065.03	10147.62	370.00	10517.62	10085.00	95.00	10180.00	11687.51	235.00	11922.51

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां, 2022-2023

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. मंत्रिपरिषद	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04
जोड़-सामान्य सेवाएं	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04
सामाजिक सेवाएं												
2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	511.11	...	511.11	1346.30	...	1346.30	790.74	...	790.74	1091.42	...	1091.42
3. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	167.17	...	167.17	556.50	...	556.50	344.50	...	344.50	357.75	...	357.75
4. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	49.43	...	49.43	66.96	...	66.96	66.96	...	66.96	65.96	...	65.96
5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजी परिव्यय	...	100.00	100.00	...	366.00	366.00	...	91.60	91.60	...	229.60	229.60
जोड़-सामाजिक सेवाएं	727.71	100.00	827.71	1969.76	366.00	2335.76	1202.20	91.60	1293.80	1515.13	229.60	1744.73
अन्य												
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	400.02	...	400.02	372.40	...	372.40	404.23	...	404.23
7. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	7225.62	...	7225.62	7730.70	...	7730.70	8463.26	...	8463.26	9719.61	...	9719.61
8. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	11.66	...	11.66	47.10	...	47.10	47.10	...	47.10	48.50	...	48.50
9. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	4.00	4.00	...	3.40	3.40	...	5.40	5.40
जोड़-अन्य	7237.28	...	7237.28	8177.82	4.00	8181.82	8882.76	3.40	8886.16	10172.34	5.40	10177.74
कुल जोड़	7965.03	100.00	8065.03	10147.62	370.00	10517.62	10085.00	95.00	10180.00	11687.51	235.00	11922.51

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त पोषण और विकास निगम	100.00	...	100.00	50.00	...	50.00
2. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त पोषण और विकास निगम	40.00	...	40.00	50.00	...	50.00	5.00	...	5.00	25.00	...	25.00
3. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त पोषण और विकास निगम	30.00	...	30.00	100.00	...	100.00	50.00	...	50.00
जोड़	70.00	...	70.00	250.00	...	250.00	5.00	...	5.00	125.00	...	125.00

1. सचिवालय: सचिवालय व्यय का प्रावधान है।

2. **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग:** यह प्रावधान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना व्यय हेतु किया गया है।
3. **राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:** यह प्रावधान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हेतु किया गया है।
4. **राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग:** यह प्रावधान राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग हेतु किया गया है।
5. **विमुक्त, घुमंतू तथा अर्धघुमंतू संदायों के लिए विकास और कल्याण बोर्ड:** यह आवंटन विमुक्त, घुमंतू तथा अर्ध-घुमंतू समुदायों हेतु विकास और कल्याण बोर्ड के लिए है।
6. **अनुसूचित जातियों के लिए उच्चतर शिक्षा युवा एचीवर स्कीम छात्रवृत्ति:** यह चार उप-योजनाओं वाली एक छत्रक योजना है, अर्थात्
 - 6.01. **एससी के लिए राष्ट्रीय अध्येता वृत्ति:** यह योजना अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित छात्रों को वित्तीय सहायता के रूप में फेलोशिप प्रदान करती है जो भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों/कॉलेज में विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान और इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में एम.फिल और/या पीएचडी करने के लिए उच्चतर अध्ययन करना चाहते हैं। इस योजना की क्रियान्वयन एंजेंसी यूजीसी है।
 - 6.02. **एससी और ओबीसी के लिए निःशुल्क कोचिंग:** यह योजना आर्थिक रूप से वंचित अनुसूचित जाति (एससी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उम्मीदवारों के लिए अच्छी गुणवत्ता की कोचिंग प्रदान करती है ताकि वे (iii) उन्हें उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने और सार्वजनिक/निजी क्षेत्र में उचित नौकरी हासिल करने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो सकें।
 - 6.03. **एससी के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा:** यह योजना उत्कृष्टता के शॉर्टलिस्ट किए गए शीर्ष श्रेणी के शिक्षा संस्थानों में प्रवेश हासिल करने वाले मेधावी छात्रों को ट्यूशन फीस, रहने का खर्च, किताबों और एक कंप्यूटर के लिए बड़ी मात्रा में छात्रवृत्ति प्रदान करके अनुसूचित जाति के सशक्तिकरण को सुनिश्चित करती है।
 - 6.04. **एससी के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति:** यह योजना अनुसूचित जातियों, गैर-अधिभूत घुमंतू और अर्ध घुमंतू जनजातियों, भूमिहीन कृषि मजदूरों और पारंपरिक कारीगरों की श्रेणी के कम आय वाले छात्रों को उच्च शिक्षा जैसे मास्टर डिग्री या पीएच.डी. विदेश में अध्ययन करके पाठ्यक्रम करने की सुविधा प्रदान करती है। जिससे उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार होता है।
7. **अनुसूचित जाति के लिए लक्षित क्षेत्र में उच्च विद्यालय में छात्र हेतु आवासीय शिक्षा योजना:** इस योजना का उद्देश्य हाई स्कूल (9वीं/10वीं/11वीं/12वीं कक्षाओं में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मेधावी अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए जिले में या उसके आस-पास उपलब्ध उच्च श्रेणी के आवासीय विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना है। यह उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करके मेधावी अनुसूचित जाति के छात्रों को बेहतर भविष्य के लिए सक्षम बनाने, अनुसूचित जाति के छात्रों की छोड़ने की दर को नियंत्रित करने में सहायता करेगी। एनजीओ स्कूलों के अलावा वर्तमान में अनुदान सहायता दी जा रही है, बशर्ते कि वे अच्छी तरह से काम कर रहे हों और उनके पास अच्छी बुनियादी सुविधाएं हों।
8. **वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता योजना:** इस योजना का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अन्य समान वित्तीय संस्थानों के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों के पात्र गरीब सदस्यों और विभाग के दोनों निगमों (एनबीसीएफडीसी और एनएसएफडीसी) के व्यक्तिगत ऋण लेने वालों को कम ब्याज दर का लाभ प्रदान करना है।
9. **प्रधानमंत्री दक्षता और कुशल सम्पन्न हितग्राही योजना:** इस कार्यक्रम का फोकस अच्छी गुणवत्ता वाले संस्थानों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले कौशल प्रदान करने पर होगा ताकि प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप नौकरी या स्वरोजगार उद्यम मिल सकें। इसके अलावा, बाजार में बेहतर तकनीकों के आने से हाथिये पर रहने वाले ग्रामीण कारीगरों को नई प्रक्रियाओं को अपनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।
10. **अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए वेंचर पूंजी निधि:** यह योजना एससी और ओबीसी उद्यमियों को नए भारत के व्यापार और उद्योग क्षेत्र में प्रवेश करने और देश के संसाधन निर्माण में सहायता के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सामाजिक क्षेत्र की पहल है।
11. **अन्य पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए उच्चतर शिक्षा युवा एचीवर स्कीम छात्रवृत्ति:** इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य विदेश में अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋण पर उच्च शिक्षा और ब्याज सब्सिडी प्राप्त करने में फेलोशिप (वित्तीय सहायता) प्रदान करके ओबीसी और ईबीसी छात्रों का शैक्षिक सशक्तिकरण है।
 - 11.01. **ओबीसी के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति:** इस स्कीम का उद्देश्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थाओं/महाविद्यालयों में विज्ञान, मानविकीय, सामाजिक शिक्षा और इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी में एम.फिल और पीएचडी करने के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को वित्तीय सहायता के रूप में अध्येतावृत्ति मुहैया करना है।
 - 11.02. **ओबीसी और ईबीसी के लिए विदेशों में अध्ययन पर ब्याज सब्सिडी:** इस स्कीम का उद्देश्य अन्य पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के मेधावी छात्रों को ब्याज सब्सिडी देना है ताकि उन्हें विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने और रोजगार का अवसर बढ़ाने के लिए बेहतर अवसर मिल सकें। अन्य पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के छात्रों को विदेश अध्ययन के लिए स्वीकृत शिक्षा ऋण पर प्रोद्भूत ब्याज पर सब्सिडी के रूप में केन्द्र सरकार से केन्द्रीय सहायता प्राप्त करके लाभान्वित हुए हैं।
12. **डीएनटी/एनटी/एसएनटी (सीड) की आर्थिक सशक्तिकरण स्कीम:** इस योजना का उद्देश्य इस प्रकार हैं i. डीएनटी उम्मीदवारों को प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने में सक्षम बनाने के लिए उन्हें अच्छी गुणवत्ता की कोचिंग प्रदान करना; ii. डीएनटी समुदायों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना iii. डीएनटी/एनटी/एसएनटी समुदाय संस्थाओं के छोटे समूहों के निर्माण और सुदृढीकरण के लिए सामुदायिक स्तर पर आजीविका पहल को सुगम बनाना; iv. डीएनटी समुदायों के सदस्यों को आवास निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
13. **वंचित व्यक्तियों के लिए आजीविका और उद्यम सहायता:** स्माइल एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और उन व्यक्तियों के कल्याण के लिए कई व्यापक उपाय शामिल हैं जो पुनर्वास, चिकित्सा सुविधाओं के प्रावधान, परामर्श, शिक्षा, कौशल विकास, आर्थिक संबंधों आदि पर व्यापक ध्यान देने के साथ भीख मांगने के कार्य में लगे हुए हैं। स्माइल में निम्नलिखित दो उप-योजनाएँ हैं:
 - 13.01. **भीख मांगने वाले व्यक्ति का व्यापक पुनर्वास:** देश को भीखावृत्ति मुक्त भारत बनाने के लिए राज्य सरकार, स्थानीय निकायों स्वयंसहायता समूह क्षेत्र में कार्य करने वाले, सामाजिक कार्यकर्ता और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक जैसी विभिन्न हितधारकों के समन्वय कार्य के माध्यम से भीखावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों का व्यापक पुनर्स्थापन के लिए रणनीति बनाना ।
 - 13.02. **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण हेतु व्यापक पुनर्वास:** शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए कल्याण स्कीम और कार्यक्रम तैयार करने के लिए प्रावधान किया गया है।
14. **मैला ढोने वालों व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना:** मंत्रालय राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) के माध्यम से मैनुअल स्कैवेंजर्स के पुनर्वास (एसआरएमएस) के लिए एक स्वरोजगार योजना लागू कर रहा है ताकि पहचान किए गए मैनुअल स्कैवेंजर्स को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जा सकें: (i) पहचान किए गए मैनुअल स्कैवेंजर्स को 40,000/- रुपये की एकमुश्त नकद

सहायता। (ii) परियोजना लागत के लिए ब्याज की रियायती दरों पर 15.00 लाख रुपये तक का ऋण। (iii) 5,00,000/- रुपये तक क्रेडिट लिंकड बैंक-एंड कैपिटल सन्डिडी (iv) 3000/- रुपये प्रति माह के वजीफा के साथ दो साल तक का कौशल विकास प्रशिक्षण।

15. **सूचना निगरानी, मूल्यांकन और सामाजिक लेखा परीक्षा:** सूचना और जन शिक्षा प्रकोष्ठ नाम की योजना का नाम बदलकर सूचना-निगरानी, मूल्यांकन और सामाजिक लेखा परीक्षा (आई-एमईएसए) कर दिया गया है: - इस योजना में निम्नलिखित घटक हैं: i) सूचना प्रसार। ii) परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) द्वारा फील्ड स्तरीय विवादों की निगरानी। iii) एक आईटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से योजनाओं की प्रगति की निगरानी करना जिसका एक प्रौद्योगिकी सेवा समूह (टीएसजी) द्वारा डिजाइन और रखरखाव किया जाएगा। iv) केंद्रीय स्मार्ट निगरानी इकाई (सीएसएसयू) की स्थापना v) विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा 5 वर्षों में एक बार योजनाओं का मूल्यांकन और अध्ययन। vi) हितधारकों पर विशेष ध्यान देने के साथ समुदाय के माध्यम से योजना के कार्यान्वयन की गहराई से जांच करके योजनाओं के परिणामों की सामाजिक लेखा-परीक्षा करना।

27. **बाबा साहेब डॉ. भीम राव अंबेडकर संघ:** डॉ अंबेडकर फाउंडेशन (डीएएफ) की स्थापना 24 मार्च, 1992 को भारत के तत्कालीन माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में गठित डॉ बी. आर. अम्बेडकर की शताब्दी समारोह समिति की सिफारिशों के अनुसरण में की गई थी। डॉ अंबेडकर फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ भारत के साथ-साथ विदेशों में भी जनता के बीच डॉ अंबेडकर की विचारधारा और संदेश को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रमों और गतिविधियों का कार्यान्वयन शामिल है। फाउंडेशन को डॉ बी आर अंबेडकर के शताब्दी समारोह के दौरान पहचानी गई महत्वपूर्ण और दीर्घकालिक योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रबंधन, प्रशासन और संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

28. **राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान:** राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान, मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन, सामाजिक रक्षा के क्षेत्र में हस्तक्षेप के लिए नोडल प्रशिक्षण संस्थान है। संस्थान मुख्य रूप से राज्य स्तरीय समन्वय एजेंसियों (पहले क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र (आरआरटीसी) के रूप में जाना जाता है), स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, एनएसएस, एनवाईके, एसआईआरडी, पीआरआई, पुलिस अकादमियां और अन्य संस्थान/संगठन। के सहयोग से वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल, नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम और अन्य सामाजिक रक्षा मुद्दों से संबंधित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने में लागू हुआ।

29. **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम:** यह प्रावधान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, वित्तीय और विकास निगम को पूंजी देने के लिए किया गया है।

30. **राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम:** यह प्रावधान राष्ट्रीय सफाई कर्मचारियों वित्त एवं विकास निगम को पूंजी देने के लिए किया गया है।

31. **राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग वित्त और विकास निगम:** यह प्रावधान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम को पूंजी देने के लिए किया गया है।

32. **डॉ. बी.आर. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र:** डीएआईसी के उद्देश्य इस प्रकार हैं: i) सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर उच्च गुणवत्ता वाले शोध करना। ii) एक राष्ट्रीय डेटाबेस विकसित करना और ज्ञान का प्रसार करना। iii) नीति समीक्षा, अनुसंधान और हिमायत करना। iv) सामाजिक क्षेत्र में सरकार, कॉरपोरेट क्षेत्र और गैर-सरकारी संगठनों के लिए थिंक टैंक। V) अनुसंधान में जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करना। vi) विद्वानों और सरकार के लिए प्रशिक्षण और अभिविन्यास केंद्र। vii) डॉ अम्बेडकर के दृष्टिकोण, विचारधाराओं, सिद्धांतों और सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन और समावेशी विकास की नीतियों पर शोध करना। viii) सतत विकास और आजीविका के क्षेत्र में अनुसंधान करना। ix) अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अन्य ज्ञान केंद्रों के साथ सहयोग और नेटवर्किंग।

36. **प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना:** पीएमएजेवाई की योजना, अनुसूचित जाति उप योजना (एससीए से एससीएसपी), प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) और बाबू जगजीवन राम छत्रवास योजना (बीजेआरसीवाई) के लिए मंत्रालय की विशेष केंद्रीय सहायता की 3 मौजूदा योजनाओं का विलय करती है, जिसका उद्देश्य कौशल विकास, आय सृजन योजनाओं और अन्य पहलों के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करके अनुसूचित जाति समुदायों और अनुसूचित जाति बहुल गांवों में पर्याप्त बुनियादी ढांचे और आवश्यक सेवाओं को सुनिश्चित करके सामाजिक-आर्थिक विकास संकेतकों में सुधार करके गरीबी को कम करना है।

37. **नागरिक अधिकार अधिनियम, 1995 का संरक्षण और एट्रोसिटी अधिनियम, 1989 के संरक्षण को प्रवर्तन के लिए तंत्र का सुदृढीकरण:** पीसीआर अधिनियम, 1995 और एससी/एसटी (पीओए) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के निम्नलिखित प्रमुख घटक हैं: i) अंतर्जातीय विवाह जहां पति या पत्नी में से एक अनुसूचित जाति का सदस्य है ii) अत्याचार पीड़ितों/उनके आश्रितों के राहत और पुनर्वास, iii) अत्याचार के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना, iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सुरक्षा कक्षाओं और विशेष पुलिस स्टेशनों को मजबूत करना v) जागरूकता पैदा करना और प्रचार करना।

38. **राष्ट्रिय अनुसूचित जाति विकास निगमों को सहायता:** इस योजना के उद्देश्य पात्र अनुसूचित जाति परिवारों की पहचान करना और उन्हें आर्थिक विकास योजनाओं को शुरू करने के लिए प्रेरित करना, उन योजनाओं को वित्तीय संस्थानों को ऋण सहायता के लिए प्रायोजित करना, कम ब्याज दर पर मार्जिन मनी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना और चुकौती देयता; और अन्य गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के साथ आवश्यक लिंक/संबंध प्रदान करके उन्हें कम करने के लिए सन्डिडी प्रदान करना है।

39.05. **अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति :** इस योजना का उद्देश्य उच्चतर शिक्षा में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के सकल नामांकन अनुपात में उल्लेखनीय वृद्धि लाना है और साथ ही उन पर विशेष ध्यान देना है जो गरीब से गरीब परिवार से आते हैं। ऐसा मैट्रिकुलेशन के पश्चात् वित्तीय सहायता प्रदान करके किया जा सकता है जिससे कि वे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें।

39.06. **अनुसूचित जाति और अन्य लोगों को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति-इसमें दो उप योजनायें आती हैं यथा-(क) अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना और (ख) उन विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना जो घातक पेशे वाले परिवारों से आते हैं। यह योजना केवल 9 और 10 कक्षा के लिए लागू होगी जिससे सामान्य और उच्चतर शिक्षा के बीच पढ़ाई छोड़ने वालों की संख्या कम से कम हो।**

44. **अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और डीएनटी के लिए विद्यार्थियों को भारत प्रधानमंत्री एचीवर छात्रवृत्ति पुरस्कार स्कीम:** ओबीसी, ईबीसी और डीबीटी के शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए चार केंद्रीय प्रायोजित स्कीम नामतः ओबीसी के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति, ओबीसी के लिए मैट्रिक के उपरांत छात्रवृत्ति, ईबीसी के लिए डॉ. अम्बेडकर मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति और डीएनटी के लिए मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति को दो उप स्कीम सहित ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए वाइब्रेन्ट भारत (पीएम यशस्वी) हेतु पीएम युवा एचीवर छात्रवृत्ति पुरस्कार स्कीम के नाम से एकल स्कीम में विलय कर दिया गया है।

44.01. **अन्य पिछड़े वर्ग, ईबीसी और डीएनटी के लिए मैट्रिक के उपरांत छात्रवृत्ति:** इस योजना का उद्देश्य ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों को मैट्रिक / माध्यमिक स्तर के बाद की पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना और उन्हें अपनी शिक्षा पूरी करने में सक्षम बनाना है।

44.02. **ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए मैट्रिक से पूर्व छात्रवृत्ति:** इस योजना का मुख्य उद्देश्य कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए छात्रवृत्ति के माध्यम से ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

44.03. **इस योजना का उद्देश्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को माध्यमिक और उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए छात्रावास की सुविधा प्रदान करना है।**

46. **अटल बयो अभ्युदय योजना:** इस योजना के दो घटक हैं: (i) वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (आईपीएससी) वरिष्ठ नागरिक गृहों, क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केंद्रों, मनोभ्रंश / अल्जाइमर रोग से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों के लिए निरंतर देखभाल गृहों की सहायता करना। ii) वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना (एसएपीएसआरसी) में पांच साल के लिए दीर्घकालिक रणनीति शामिल है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी राज्य कार्य योजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए निधियां जारी करेगा। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध संसाधनों को बढ़ाने के लिए अपने स्वयं के धन का निवेश करें।

47. **औषध मांग को कम करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना:** एनएपीडीडीआर केंद्रीय क्षेत्र के घटकों के साथ एक एकमात्र केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ तैयार किया गया है: i) निवारक शिक्षा, जागरूकता सृजन, पहचान, परामर्श, उपचार और नशीली दवाओं पर निर्भर व्यक्तियों के पुनर्वास, प्रशिक्षण और पर ध्यान केंद्रित करके देश में दवा की मांग में कमी। केंद्र और राज्य सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों के सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से सेवा प्रदाताओं की क्षमता निर्माण। ii) व्यक्ति, परिवार, कार्यस्थल और समाज पर बड़े पैमाने पर नशीली दवाओं के दुरुपयोग के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना और लोगों को शिक्षित करना और समाज में उन्हें वापस एकीकृत करने के लिए ड्रग्स पर निर्भर समूहों और व्यक्तियों के कलंक और भेदभाव को कम करना।